अनुमानप्रमाण के भेद

डा० धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी

सहायक प्रोफेसर, संस्कृत विभाग,

डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, राँची

तर्कभाषाकार ने अनुमान के दो भेद बताए हैं स्वार्थानुमान और परार्थानुमान-"तच्चानुमानं द्विविधम्। स्वार्थं परार्थं चेति"।

स्वार्थानुमान को स्पष्ट करते हुए उनका कथन है- "स्वार्थं स्वप्रतिपत्तिहेतुः। तथा हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमाग्न्योर्व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चाग्नौ सन्दिहानः पर्वतवर्तिनीमविच्छन्नमूलामभ्रंलिहां धूमलेखां पश्यन् धूमदर्शनाच्चोदबुद्धसंस्कारो व्याप्तिं स्मरति। यत्र धूमस्तत्राग्निरिति। ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति प्रतिपद्यते। तस्मादत्र पर्वतेऽग्निरप्यस्तीति स्वयमेव प्रतिपद्यते। तत्स्वार्थानुमानम्।

अर्थात् स्वयं के ज्ञान का हेतुभूत जो अनुमान होता है, उसे 'स्वार्थानुमान' कहते हैं। जैसे- कोई आदमी 'महानस' (पाकशाला) आदि अनेक जगह जाकर 'धूम' और 'अग्नि' के सहचार को देखता है, और उससे 'धूम' में अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करता है, उसके बाद जब कभी पर्वत के समीप पहुँचता है, तब उसे पर्वत पर 'अग्नि है या नहीं' इस प्रकार का सन्देह होता है, किन्तु जब वहाँ मूलस्थान से आकाश तक अविच्छिन्नरूप में फैले हुए धूम को देखता है, तब उस 'धूम' में पूर्व ग्रहण की हुई 'अग्नि' की व्याप्ति के 'संस्कार' उद्बुद्ध हो उठते हैं। उन संस्कारों के उद्बुद्ध हो जाने से 'यत्र धूमः तत्र अग्निः'- जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है इस आकार में 'धूम में अग्नि की व्याप्ति' का उसे स्मरण होता है, तदनन्तर पर्वत पर 'अग्निव्याप्य' के रूप में धूम दिखाई देता है। अर्थात् 'अग्निव्याप्यधूमवानयं पर्वतः' यह ज्ञान होता है, तब 'पर्वतो वह्निमान्' इस प्रकार की 'पर्वत' पर अग्नि की अनुमिति होती है। इस प्रकार से 'अग्निरूप साध्य' की अनुमिति उसी को हो पाती है, जिसे 'पर्वतरूप पक्ष' में हेतु का 'साध्यव्याप्य' रूप से अर्थात् 'वह्निव्याप्यो धूमः' इस आकार में 'हेतु' (धूम) का निश्चय हुआ रहता है। यही स्वार्यानुमान का स्वरूप है। अभिप्राय यह है कि पर्वतगत अग्नि का सन्देह होने पर पर्वत से निकलती हुई अविच्छिन्नमूला

धूमरेखा को देखने पर पूर्वगृहीत धूमाग्निव्याप्ति के संस्कार जगते हैं। उस कारण धूमाग्नि की व्याप्ति का उसे स्मरण हो जाता है। तब 'इस पर्वत पर भी धूम है-इस प्रकार से वह्निव्याप्य धूम का ज्ञान उसे होता है। यही 'धूमज्ञान' तृतीत ज्ञान है। इससे वह स्वयं समझ लेता है कि इस पर्वत पर भी 'अग्नि' है। यही स्वार्थानुमान है।

परार्थानुमान को स्पष्ट करते हुए तर्कभाषाकार का कथन है-"यत्तु कश्चित् स्वयं धूमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पञ्चावयवमनुमानवाक्यं प्रयुङ्क्ते तत् परार्थानुमानम्। तद्यथा-'पर्वतोऽग्निमान्, धूमवत्त्वात्, यो यो धूमवान् सोऽग्निमान, यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा, इति। अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात् पञ्चरूपोपपन्नाल्लिङ्गात् परोऽप्यग्निं प्रतिपद्यते। तेनैतत् परार्थानुमानम्"।

अर्थात् जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके, उस अनुमित अग्नि का ज्ञान किसी अन्य मनुष्य की कराने के लिए पञ्चावयव वाक्य का प्रयोग करता है, तब उसे परार्थानुमान कहते हैं। जैसे (१) 'पर्वतोऽग्निमान्'-पर्वत अग्निमान है-यह 'प्रतिज्ञा' है। (२) 'धूमवत्त्वात्- क्योंकि वह धूमावान् यह 'हेतु' है। (३) जो-जो धूमवान् होता है, वह-वह अग्निमान् होता है, जैसे महानस (रसोईघर)- यह 'उदाहरण' है (४) यह (पर्वत) भी उसी प्रकार का (धूमवान्) है-यह उपनय है (इस उपनय को 'वह्निव्याप्यधूमवाँश्चायम्' के आकार में कहा जाता है। इसी को संक्षेप में 'तथा चायम्' के आकार में कह दिया है। इस उपनय में 'व्याप्ति' और 'पक्षधर्मता' दोनों की प्रतीति होती है। इसीलिये इसे 'व्याप्ति-विशिष्ट-पक्षधर्मताज्ञान' अथवा 'लिङ्गपरामर्श' या 'अनुमान' भी कहते हैं। अनुमानवाक्य के-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय-ये चार अवयव अभी तक बताये गये। अब 'निगमन' रूप पाँचवाँ अवयव 'तस्मात् तथा'-इसलिये वैसा, यानी अग्निमान् है-इस प्रकार का 'अनुमिति' रूप ज्ञान होता है। अनुमानवाक्य के इस पाँचवें अवयव को 'निगमन' कहते हैं।

इस प्रकार (१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, (३) उदाहरण, (४) उपनय (५) निगमन - ये पाँच अवयव परार्थानुमान वाक्य के होते हैं।

जिन पाँच अवयव वाक्यों से परार्थानुमान सम्पन्न किया जाता है, उन पाँचों के समूह को न्याय कहते हैं और उस समूह के एक-एक वाक्य को 'न्यायावयव' कहते हैं। प्रतिज्ञावाक्य-यह पहला

अवयव है। इस अवयव वाक्य से पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। हेतुवाक्य-यह दूसरा अवयव है। इस अवयववाक्य से 'हेतु' में 'साध्य' की ज्ञापकता का बोध होता है। उदाहरणवाक्य-यह तीसरा अवयव है। इस अवयववाक्य से 'हेतु' में 'साध्य' की व्याप्ति का बोध होता है। उपनयवाक्य-यह चौथा अवयव है। इस अवयव से पक्ष में साध्यव्याप्य हेतु के सम्बन्ध का (पक्षधर्मता का) बोध होता है। निगमनवाक्य-यह पाँचवाँ अवयव है। इस अवयववाक्य से व्याप्ति और पक्षधर्मता से विशिष्ट हुए हेतु में अबाधितत्व और असत्प्रतिपक्षत्व के बोधन के साथ ही पक्ष में साध्य के सम्बन्ध का भी ज्ञान होता है।

निष्कर्ष यह है कि 'प्रतिज्ञा' आदि पाँच वाक्यों से किया जाने वाला अनुमान, परार्थ होता है, यानी दूसरे व्यक्ति के प्रयोजन को सम्पन्न कर देता है, इसीलिए इसे परार्थानुमान कहते हैं।

डॉ० धनञ्जय वासुदेव द्विवेदी